संख्या–2206 / 9–आ–3–99–50वि0 / 99

प्रेषक

यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 27 मई, 1999

विषय :फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु प्रदेश की घोषित फिल्म–नीति–1999 का क्रियान्वयन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में फिल्म उद्योग को अधिक लाभकारी बनाने एवं इसमें उद्यमियों को अपनी पूँजी निवेशित करने हेतु आकर्षित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा जो फिल्म नीति,1999 घोषित की गयी है, उसका अनुसरण करते हुये यह निर्णय लिया गया है कि मल्टीप्लेक्सेज तथा छविगृहों के भावी विकास के लिये प्राइम स्थलों पर भूमि का आवंटन स्थानीय नागर प्राधिकरणों द्वारा किया जायेगा। मल्टीप्लेक्सेज / छविगृहों हेतु भूमि आवासीय दर को न्यूनतम मानकर नीलामी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी तथा सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा पहले मल्टीप्लेक्सेज़ / छविगृहों का निर्माण कराया जायेगा तथा इसके उपरान्त ही वाणिज्यिक निर्माण किया जा सकेगा तथा संबंधित व्यक्तियों द्वारा प्रश्नगत भूमि का कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार ही दो स्टेज में मानचित्र स्वीकार किया जायेगा।

2. इसी परिप्रेक्ष्य में यह भी उल्लेखनीय है कि हिन्दी फिल्मों से प्राप्त होने वाले राजस्व में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बावजूद फिल्म वितरण के लिये इसे अन्य क्षेत्रों के साथ रखा गया है। अतः यह आवश्यकता महसूस की गयी है कि उत्तर प्रदेश एक पृथक वितरण क्षेत्र के रूप में स्थापित हो। इससे उत्तर प्रदेश से प्राप्त होने वाले राजस्व को प्रदेश में बनने वाली फिल्मों के वित्त पोषण पर लाभकारी ढंग से पुनर्निवेशित किया जा सकेगा। अतः इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये उपयुक्त वैधानिक तथा वित्तीय व्यवस्थायें विकसित की जायं। वितरकों को इस बात के लिये प्रोत्साहित एवं प्रेरित किया जायेगा कि वे अपने कार्यालय उत्तर प्रदेश में स्थापित करें। इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इन वितरकों को विकास प्राधिकरणों द्वारा आवंटित की जाने वाली भूमि तथा भवन के नियमानुसार आवंटन में प्राथमिकता प्रदान की जाय।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

संख्या–2206 / 9–आ–3–99–50 वि / 99.तद्दिनांक।

1. प्रतिलिपि आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उनके पत्र दिनांक 22 मई, 1999 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उ0 प्र0 शासन।

3. प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. प्रतिलिपि मनोरंजन कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. प्रतिलिपि औद्योगिक विकास अनुभाग–6 एवं संस्थागत वित्त अनुभाग–6।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
अनु सचिव।

संख्या–2235 / 9–आ–3–99–42 विविध / 99

प्रेषक,

यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 31 मई, 1999

विषय :फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु प्रदेश की घोषित फिल्म नीति,1999 का क्रियान्वयन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि फिल्म उद्योग को अधिक लाभकारी बनाने एवं इसमें उद्यमियों को अपनी पूँजी निवेशित करने हेतु आकर्षित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा घोषित फिल्म नीति,1999 के अन्तर्गत आवास विभाग द्वारा शासनादेश संख्या–2235 / 9–आ–3–99–42 वि0 / 99, दिनांक 27 मई,1999 जारी किया गया है। उक्त जारी शासनादेश दिनांक 27 मई, 1999 के प्रस्तर–2 के बाद प्रस्तर–3 निम्न प्रकार से बढ़ा दिया जाय :–

नवीन छविगृहों को अपने आच्छादित क्षेत्रफल के 30 प्रतिशत अधिकतम सीमा तक का प्रयोग वाणिज्यिक प्रयोजन करने की छूट होगी। शासनादेश दिनांक 27 मई, 1999 इस सीमा तक संशोधित माना जाय ।

भवदीय,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

संख्या–2235(1) / 9–आ–3–99– तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित :–

1. आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उनके पत्र दिनांक 22 मई, 1999 के सन्दर्भ में।
2. प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. आयुक्त, मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. औद्योगिक विकास अनुभाग–6 / कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग–6।
7. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु को उनके पत्र दिनांक 29–5–99 के सन्दर्भ में।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
अनु सचिव।

संख्या : 2829 / 9—आ—3—99—42विविध / 99

प्रेषक,

यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग—3 लखनऊ : दिनांक : 28 जुलाई, 1999

विषय :फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु प्रदेश की घोषित फिल्म नीति,1999 का क्रियान्वयन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर आवास अनुभाग—3 के शासनादेश संख्या—2206 / 9—आ—3—99—50 वि0 / 99, दिनांक 27—5—99 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या—2235 / 9—आ—3—99—42 वि0 / 99, दिनांक 31—5—99 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. शासनादेश दिनांक 31—5—99 में आंशिक रूप से संशोधन करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 31—5—99 में उल्लिखित शासनादेश संख्या—2235 / 9—आ—3—99—42 विविध / 99, दिनांक 27—5—99 के स्थान पर शासनादेश संख्या—2206 / 9—आ—3—99—50वि0 / 99, दिनांक 27—5—99 पढ़ा जाय। पूर्व निर्गत शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव।

संख्या—2829(1) / 9—आ—3— / 99 तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित :

1. आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन को उनके पत्र दिनांक 22 मई, 1999 के सन्दर्भ में।
2. प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. आयुक्त, मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. औद्योगिक विकास विभाग—6, कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग—6।
6. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु को उनके पत्र दिनांक 29—5—99 के सन्दर्भ में।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
अनु सचिव।

संख्या 2179/9—आ—3—99.18 वि0/99

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

(1) उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

(2) आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग—3 लखनऊ : दिनांक : 7 जून, 1999

विषय :उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति, 1998 के अन्तर्गत नगर योजना में पर्यटन प्रयोजन हेतु भूखण्ड चिन्हित किया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा जारी पर्यटन नीति दिनांक 31—12—98 में आवासीय क्षेत्र में निजी उद्यमियों द्वारा तीन स्तर तक की मान्यता प्राप्त कर सकने योग्य होटल/रिजार्ट प्रोजेक्ट या कोई अन्य मान्यता प्राप्त पर्यटक इकाई स्थापित किये जाने हेतु उनको अनुमति दिये जाने तथा स्थानीय निकाय एवं समस्त विकास प्राधिकरणों द्वारा नगर योजना में पर्यटन विभाग की सहायता से पर्यटन उद्योग से सम्बन्धित गतिविधियों के लिये भूखण्ड चिन्हित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

अतः अनुरोध है कि पर्यटन के विकास के उद्देश्य से विकास प्राधिकरणों द्वारा नगरों/महानगरों की योजनायें तैयार करते समय पर्यटन विभाग की सहायता से पर्यटन उद्योग से सम्बन्धित गतिविधियों के लिये भूखण्ड चिन्हित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ताकि भविष्य में आवासीय योजनाओं के पूर्ण होने की स्थिति में पर्यटन सम्बन्धी सुविधाओं का विकास किये जाने में कोई कठिनाई न हो।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव।

संख्या : 2179/9—आ—3—99—18वि/99—तद्दिनांक

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव/सचिव/महानिदेशक पर्यटन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया यह अवगत कराने का कष्ट करें कि किन—किन नगरों में पर्यटन के विकास हेतु विशेष रूचि रखते हैं।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
अनु सचिव।

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 24 जनवरी, 2000

विषय :पर्यटन नीति, 1998 के अनुरूप होटल व्यवसाय को प्रोत्साहन देने हेतु आवासीय क्षेत्र में होटल निर्माण अनुमन्य–निर्मित आवासीय भवन को स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत होटल परियोजनार्थ शमन किये जाने के सम्बन्द में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह बात आयी है कि कतिपय भवन जो आवासीय मानचित्र की स्वीकृति के आधार पर निर्मित किये गये थे, को स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत होटल के रूप में शमन हेतु आवेदन–पत्र प्राप्त हुये हैं, जिनके निस्तारण के सम्बन्ध में इस बात का संशय बना हुआ है कि उन्हें आवासीय क्षेत्र में होटल हेतु मानकों के आधार पर शमन किया जाना है या स्वीकृत मानचित्र के आधार पर ।

2. विदित है कि दिनांक 29–10–1998 को स्वैच्छिक शमन योजना जारी होने के उपरान्त शासनादेश संख्या–1260/9–आ– 3–1998/18 वि/99, दिनांक 24–4–1999 द्वारा पर्यटन नीति के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्र में तीन स्टार तक के मान्यता प्राप्त होटल बनाये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गयी थी। स्वैच्छिक शमन योजना में सभी प्रकृति के निर्माण के लिये अनुमन्य एफ.ए.आर. का 50 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 60 एफ.ए.आर. शमनीय है परन्तु होटल से सम्बन्धित उपरोक्त प्रकरणों में यह समस्या है कि एफ. ए.आर.का शमन होटल हेतु अनुमन्य 125 एफ.ए.आर. को आधार मानकर किया जाय अथवा जिस एफ.ए.आर. हेतु मानचित्र स्वीकृत एवं निर्मित है, के उपर एफ.ए.आर. का शमन किया जाय।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त समस्या के समाधान हेतु शासन द्वारा निम्न व्यवस्था निर्धारित की गयी है :–

(i) ऐसे प्रकरणों में एफ.ए.आर.के शमन की सीमा उसी एफ.ए.आर. पर आधारित होगी, जो पूर्ण स्वीकृत मानचित्र में स्वीकृत/अनुमन्य थी क्योंकि उसी के आधार पर निर्माण किया गया था, परन्तु उसके लिये शुल्क होटल हेतु अनुमन्य एफ.ए.आर. 125 के उपर से ही लिया जायेगा। अतः यदि पूर्व में 250 एफ.ए. आर. स्वीकृत है तथा 60 एफ.ए.आर. अधिक निर्मित किया गया है (अर्थात् कुल 310 हैं) तो शमन शुल्क 310–125=185 एफ.ए.आर. के लिये वसूलते हुए होटल हेतु शमन किया जा सकता है जबकि स्वैच्छिक शमन योजना अनुसार आवासीय उपयोग के लिये शमन करने पर केवल 60 एफ.ए.आर. के लिये ही शुल्क देय होता है।

(ii) सड़क विस्तारीकरण हेतु यदि आवेदक द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है तो उसके प्रति कम्पनसेटरी एफ.ए.आर. अनुमन्य होगा, जो सड़क विस्तारीकरण से प्रभावित भूमि का 50 प्रतिशत के बराबर परन्तु उस भूखण्ड हेतु अवशेष भूमि पर अनुमन्य कुल एफ.ए.आर. का अधिकतम 25 प्रतिशत अनुमन्य होगा।

4. उपरोक्त एफ.ए.आर. के शमन की सुविधा केवल ऐसे भवनों के लिये अनुमन्य होगी जो आवासीय क्षेत्र में तीन स्टार तक के मान्यता प्राप्त हेतु निर्माण अनुज्ञा सम्बन्धी शासनादेश संख्या–1260/9–आ–3–1999/18वि/99, दिनांक 12–4–1999 के पूर्व स्वीकृत एवं निर्मित हो चुके हैं तथा जिसके शमन के लिये स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत आवेदन पत्र जमा किये जा चुके हैं।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव।

संख्या– 369(1)/9–आ–1–2000–120 विविध/98

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. आवास आयुक्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
4. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
रामवृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव।